

राज्य शैक्षिक अनुसंधान
और प्रशिक्षण परिषद् हरियाणा, गुडगांव
(SCERT) 0124-2301981
फैक्स : 0124-2314909

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान
और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली
(NCERT) PH.011-26560464
PH.011-26560464

राष्ट्रीय साधन व योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा (NMMS) 2016
कक्षा आठवीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए

विवरण पुस्तिका (Prospectus)

Online आवेदन पत्र भरना : 15 अगस्त 2016 से प्रारम्भ
Online आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि : 26 सितम्बर 2016

योजना

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् हरियाणा, गुडगाँव द्वारा 06 नवम्बर 2016 को राज्य के विभिन्न केन्द्रों पर उपरोक्त परीक्षा का आयोजन किया जायेगा।

चयन प्रणाली :

लिखित परीक्षा के दो भाग होंगे।

भाग : 1 मानसिक योग्यता परीक्षण (**Mental Ability Test**)

इस परीक्षा में विद्यार्थियों की मानसिक योग्यता (तर्क, विश्लेषण, संश्लेषण आदि) को जांचने के लिए बहुविकल्प प्रकार के एक-एक अंक के 90 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे।

भाग: 2 बौद्धिक योग्यता परीक्षण (**Scholastic Aptitude Test**)

इस परीक्षा में बहुविकल्प प्रकार के एक-एक अंक के 90 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे।

मानसिक योग्यता परीक्षण का केवल एक भाग है, जबकि बौद्धिक योग्यता परीक्षण के तीन भाग हैं।

तीनों भागों में विषयानुसार अंको का विभाजन निम्नानुसार है।

विषय (Subjects)	अंक(Marks)
भाग 1 विज्ञान (Science)	35
भाग 2 गणित (Mathematics)	20
भाग 3 सामाजिक विज्ञान (Social Science)	35

मानसिक योग्यता परीक्षण एवं बौद्धिक योग्यता परीक्षण में प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प (संभावित 1,2,3,4) होंगे। विद्यार्थियों को इन विकल्पों में से ठीक उत्तर चुनकर OMR Sheet पर (•) Mark करना होगा, जो उन्हें प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दी जायेगी।

परीक्षा सम्बन्धी विवरण

परीक्षा	समय	अधिकतम अंक	अर्हता अंक
मानसिक योग्यता परीक्षण (MAT)	90 मिनट	90	36
बौद्धिक योग्यता परीक्षण (SAT)	90 मिनट	90	36

नोट अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति एवं अशक्त विद्यार्थियों के लिए अर्हता अंक 29 है।

पाठ्यक्रम :

इस परीक्षा के लिये कोई सीमित पाठ्यक्रम नहीं है, यद्यपि प्रश्नों का स्तर आठवीं कक्षा के लिये होने वाले हरियाणा बोर्ड, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सार्वजनिक परीक्षा के स्तर के समान होगा।

परिणाम:

परिणाम के लिए OMR Sheet का मूल्यांकन किया जाएगा। गलत उत्तरों की कोई Negative Marking नहीं है।

NMMS:- इस परीक्षा में जिला स्तर पर चयनित विद्यार्थियों को जिले के कोटे के अनुसार छात्रवृत्ति जिला स्तर पर दी जाएगी। उपरोक्त परीक्षा में बी०सी०ए० वर्ग को 16 प्रतिशत, बी०सी०बी० वर्ग को 11 प्रतिशत, एस०सी० वर्ग को 20 प्रतिशत एवं शरीरिक विकलांग वर्ग को 3 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।

पुनर्मूल्यांकन

उपरोक्त परीक्षा के परिणाम के बाद पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है।

माध्यम :

परीक्षा का माध्यम हिन्दी तथा अंग्रेजी होगा।

पात्रता :

NMMS:- राष्ट्रीय साधन व योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा में बैठने हेतु विद्यार्थी राज्य के सरकारी /अनुदान प्राप्त विद्यालयों में आठवीं कक्षा में पढ़ रहे हों तथा उन्होंने सातवीं कक्षा की परीक्षा इन्हीं विद्यालयों से पिछले वर्ष (सामान्य वर्ग में) 55 प्रतिशत, (आरक्षित वर्ग में) 50 प्रतिशत अंक प्राप्त कर पास की हो। परीक्षार्थी के माता-पिता की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 1,50,000 रु०से कम होनी चाहिए।

नोट:

- विद्यार्थी इस परीक्षा में केवल एक ही बार बैठ सकेगा/सकेगी।
- विद्यार्थी की पात्रता, अपात्रता व अनियमितता मालूम होने पर रद्द कर दी जाएगी।
- इस परीक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- आठवीं कक्षा का अनुत्तीर्ण विद्यार्थी इस परीक्षा में नहीं बैठ सकता/सकती।

Online आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि : 26 सितम्बर 2016

अन्तिम तिथि किसी भी स्थिति में बढ़ाई नहीं जाएगी।

प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र Online ही भरा जाएगा जो हमारी वेबसाइट scertharyana.gov.in पर उपलब्ध होगा। इस परीक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं है। परीक्षा प्रवेश पत्र, परीक्षा से एक सप्ताह पूर्व हमारी वेबसाइट से निकाले जा सकते हैं। उसके लिए प्रार्थी को अपना Sr.No./ Password, नाम व जन्म तिथि से Login कर सकते हैं।

परिणाम सम्बन्धी सूचना :

NMMS में चयनित परीक्षार्थी अपना परीक्षा परिणाम एस०सी०ई०आर०टी० की Website: scertharyana.gov.in तथा जिला समन्वयक, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी के पास देख सकते हैं। जिन परीक्षार्थियों का चयन नहीं हुआ है वे कोई पत्र व्यवहार या फोन एस०सी०ई०आर०टी० गुडगाँव में न करें।

परीक्षा की तिथि

समय:

06-11-2016

11-00 बजे प्रातः से सायं 2-00 बजे तक

नोट:- कृपया नीचे लिखे बिन्दुओं पर ध्यान दे।

1. NMMS परीक्षा हेतु माता-पिता का वार्षिक आय प्रमाण पत्र, केवल परीक्षा में बैठने हेतु Oath Commissioner द्वारा जारी किया गया हो व उसे परीक्षार्थी के विद्यालय के मुखिया से सत्यापित कराके उसे स्कैन करके आवेदन पत्र के साथ अवश्य upload करें अन्यथा आवेदन पत्र रद्द कर दिया जायेगा।
2. यदि विद्यार्थी NMMS परीक्षा की मैरिट लिस्ट में आ जाता है तो उसे छात्रवृत्ति तभी दी जायेगी जब वह अपने माता पिता की कुल आय का प्रमाण पत्र एस.डी.एम./तहसीलदार से सत्यापित करवाकर अपने जिले के डी.एस.एस. को दे देगा।
3. अनुसूचित जाति/ जनजाति के छात्र अपनी जाति का प्रमाण पत्र प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा बनवाकर उसकी सत्यापित फोटोप्रति भी आवेदन पत्र के साथ स्कैन करके upload करें।
4. केन्द्र अधीक्षक व D.S.S. दोनों परीक्षाओं के परीक्षार्थियों के अनुसूचित जाति/जनजाति व अशक्तता प्रमाण पत्रों की जांच अवश्य करें।
5. Physical Challenged परीक्षार्थी अपना अशक्तता का प्रमाण पत्र (प्रतिशत सहित) अपने जिले के सी.एम.ओ. से बनवाकर आवेदन पत्र के साथ स्कैन करके upload करें।

अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क करें

- (1) परीक्षा शाखा – एस0सी0ई0आर0टी0 हरियाणा, गुडगांव फोन नं0 0124-2301981, 2314909
- (2) प्रत्येक जिले के – जिला शिक्षा अधिकारी/जिला विज्ञान विशेषज्ञ